मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

सरकार बनाम जगदीश / सरकार

किस्म मुकदमा दावा मु० नं० 81/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/10/24	पत्रावली पेश हुई, क्योंकि [illegible] द्वारा कार्य [illegible] को राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख पेशी लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 30.11.24 को पेश हो।	
30.11.24	पत्रावली पेश। जवाब स्टेट प्राप्त। बहस दावा सुनी गयी। निर्णय हेतु पत्रावली दि. 7.12.24 को पेश हो।	
7.12.24	पत्रावली निर्णय हेतु पेश। वाद के तथ्यों व जवाब स्टेट का अवलोकन किया गया। वादीगण ग्राम गढ़ के साबिक ख.नं. 404/3 (5 बीघा) का भू-प्रबंध विभाग द्वारा नक्शे में गलत तरमीम, जिसका वर्तमान ख.नं. 649 (1.26 हे.) बनाया गया है, को Settlement से पूर्व स्थिति अनुसार दुरुस्त करवाना चाहते हैं। वाद अनुसार वादीगण की मय कब्जा काश्त Settlement पूर्व से ही वर्तमान चारागाह ख.नं. 648 (1.11 हे.) पर रही है। जवाब स्टेट में भी इसे स्वीकार किया गया है। अतः वादीगण की खातेदारी वर्तमान ख.नं. 648 में से 1.11 हे. व ख.नं. 649 में .15 हे. भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जा [illegible] में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को दिये जाते हैं। ख.नं. 649 में से 1.11 हे. भूमि चारागाह दर्ज की जावे। जवाब स्टेट निर्णय का भाग रहेगा। आदेश अनुसार डिक्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। (रणजीत सिंह) 7.12.24	